आदेश व इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 225/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विस लि., ग्यारहवीं मंजिल, टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर पारेल, मुम्बई।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स पवन स्पेशलिटीज,
2. श्री प्रवीण व्यास,
3. श्री नवीन व्यास,
4. श्रीमती रीना व्यास,
5. श्रीमती सुषमा व्यास,

पताः– 4 ठ 13, जवाहर नगर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :–

1. श्री हेमचंद गिरी, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।
2. श्री सत्येन्द्र कुमार सक्सेना, अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

आदेश दिनांक 16.08.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री प्रवीण व्यास के स्वामित्त्व की संपत्ति प्लॉट नं. टी–4 (पुराना नं. एच–6/18–ए), रमेश नगर, सी–स्कीम, जयपुर क्षेत्रफल 741 वर्गगज एवं श्री नवीन व्यास के स्वामित्त्व की संपत्ति फ्लेट नं. 401, चतुर्थ तल, ब्लू हेवन, प्लॉट नं. 49, 51 एवं 52 कटेवा नगर, न्यू सांगानेर रोड़, सोड़ाला, जयपुर, क्षेत्रफल 1532.20 वर्गफीट को बन्धक रख कर एवं First and exclusive charge on Current Assets of the Borrower funded by TCFSL (Both present and future) को हाइपोथिकेट कर दिनांक 30.04.2015, 26.05.2015 एवं 11.05.2016 को कुल राशि 20,40,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 03.12.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक एवं हाईपोथिकेटेड सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्येन्द्र कुमार सक्सेना ने वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब/बहस हेतु अवसर चाहा गया है।
3. उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभाति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

4. अप्रार्थी ने जबाब प्रस्तुत करने के लिए समय चाहा है, किन्तु सरफेशी एक्ट की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का 30 दिवस या अधिकतम 60 दिवस में निस्तारण किये जाने का प्रावधान है। इसलिए अधिक समय नही दिया जा सकता है।

5. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 को सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 20,40,00,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 29,00,15,949/–रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 03.12.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है एवं इसके अतिरिक्त दो दैनिक समाचार पत्रों में 13(2) के नोटिस को प्रकाशित कराया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

7. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री प्रवीण व्यास के स्वामित्त्व की बंधक संपत्ति प्लॉट नं. टी–4 (पुराना नं. एच–6/18–ए), रमेश नगर, सी–स्कीम, जयपुर क्षेत्रफल 741 वर्गगज एवं श्री नवीन व्यास के स्वामित्त्व की संपत्ति फ्लेट नं. 401, चतुर्थ तल, ब्लू हेवन, प्लॉट नं. 49, 51 एवं 52 कटेवा नगर, न्यू सांगानेर रोड़, सोड़ाला, जयपुर, क्षेत्रफल 1532.20 वर्गफिट एवं हाइपोथिकेटेड संपत्ति First and exclusive charge on Current Assets of the Borrower funded by TCFSL (Both present and future) का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

8. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

9. आदेश आज दिनांक 16.08.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर